समाहरणालय, गोड्डा।

(जिला समाज कल्याण शाखा)

-- इच्छा की अभिव्यक्ति --

विशेष सचिव–सह–परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्र संख्या–353/(झा०म०वि०स०), राँची, दिनांक–02.08.2018 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में 18 वर्ष से ऊपर की आयु की महिलाओं, विशषकर वैसी महिला एवं लड़कियाँ जो निर्बल, समाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा बेघर, घरेलु हिंसा, पारिवारिक कलह एवं वेश्यालयों या अन्य जगहों पर शेषण उत्पीडन से पीडित है, कठिन परिस्थितियो मे जीवन यापन कर रही महिलाओं को गरिमामय जीव यापन करने में सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत स्वाधार गृह के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) के चयन हेतु उप सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र सख्या–SW-57/5/2018-SWADHAR, Sansad Marg, New Delhi, Dated 27.02.2018 द्वारा प्रसारित स्वाधार गृह योजना के संशोधित मार्ग–दर्शिका (जो http://wcd.nic.in/schemes/swadhar-greh-scheme-women-difficult-circumstances पर देखा जा सकता है) के प्रावधानों के तहत इच्छुक निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं (एन०जी०ओ०) से निम्न शर्तों पर परियोजना प्रस्ताव विहित प्रपत्र (Appendix-I) मे दिनांक 15.10.18 तक आमंत्रित किया जाता है :–

(1) उन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860, ट्रस्ट अधिनियम–1882, कम्पनीज अधिनियम–1958 के तहत निबंधित हो एवं सरकारी उपक्रम/निगम/निकाय/कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन तीन साल पूरा हो गया हो।

(2) उन्हीं संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनका विधिवत रूप से गठित प्रबंध समिति हो एवं जिसका अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो तथा जिनके लिखित संविधान/बाईलॉज हो। परियोजना प्रस्ताव के साथ उक्त संविधान/बाईलॉज को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) संस्थाओं के परियोजना प्रस्ताव पर विचार के लिये आवश्यक होगा कि संस्था परियोजना प्रस्ताव से संबंधित विषय पर या परियोजना के विषय के समान क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो तथा संस्था के पास परियोजना कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा संसाधन उपलब्ध हो।

(4) परियोजना प्रस्ताव का बजट स्वाधार गृह योजना के संशोधित मार्ग–दर्शिका के अनुसार होनी चाहिए। अत्यधिक बजट वाले परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) किसी परियोजना संचालन के लिए संस्था की अपनी वित्तीय स्थिति का सुदृढ होना आवश्यक है। संस्था के पास संबंधित परियोजना हेतु प्रस्तावित बजट का कम से कम 20% राशि अपने बैंक खाते में रखना अनिवार्य होगा।

(6) संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ संस्था का आधारभूत ढाँचा तथा ससाधनों का पूर्ण ब्यौरा, लाभान्वितों के नाम, पता, फोन न0, फोटो तथा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, विशेष प्रशिक्षण आदि की जानकारी, विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(7) वैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनके द्वारा पूर्व में अनुदान की राशि का दुरूपयोग किया गया हो या जिनका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(8) संस्था का नीति आयोग के NGO-PS Portal पर निबंधित रहना आवश्यक है।

27/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 2538 /जि0स0क0, दिनांक 27/9/18

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एव निदेश दिया जाता है कि उक्त विज्ञापन का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गोडडा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना को गोड्डा जिला के वेवसाईट www.godda.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेगे।

प्रतिलिपि :– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोडडा जिला को सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/9/18

उपायुक्त,
गोड्डा।

Scanned by CamScanner